<u>न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा</u>

पीठासीन अधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, <u>I.A.S.</u>

प्रकरण संख्या –57 / 2023 (अपील)

GCMS No.- 2023 / 238

1. मोहम्मद सलीम पुत्र श्री अब्दुल अजीज जाति कुरेशी निवासी प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. दिलसाद पुत्र मोहम्मद सलीम जाति कुरेशी निवासी प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा
2. शाहिबा पत्नि दिलशाद जाति कुरेशी निवासी प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब क़ोटा
3. मोहम्मद इरशाद पुत्र मोहम्मद सलीम जाति कुरेशी निवासी प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा
4. हिना पत्नि मोहम्मद इरशाद जाति कुरेशी निवासी प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

जिला कलक्टर कोटा

अपील बनाराजी निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा दिनांक 10.10.2023 धारा 16 मेन्टीनेन्स वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद साबिर खान, अभिभाषक अपीलान्ट

<u>*निर्णय*</u>

<u>दिनांक–13.02.2024</u>

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं 27 वेलफेयर ऑफ पेरेन्ट्स एवं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 1010.2023 से जारी किया है कि–''प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मकान प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं है, किन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार ना करें एवं प्रार्थी को मकान में एक स्वच्छ कमरे की व्यवस्था करवायी जाकर शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी का इलाज करवाये एवं सेवा सुश्रूशा करें । प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते है इस कारण प्रार्थी अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अप्रार्थी क्रम 1 व 3 को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को प्रत्येक 2000/– मासिक अर्थात कुल 4000/– मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हों ।'' बाबत आदेश पारित किया ।

2. आदेश दिनांक 10.10.2023 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 8.11.2023 को अपील प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, नोटिस डिलीवर्ड रिपोर्ट पत्रावली संलग्न है, किन्तु रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पो0 की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रिलीफ दी जाकर रेस्पो0 को उसके मकान से बेदखल करने का आदेश देना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 को मकान से बेदखल न करने का तथा मात्र रेस्पो0 अपीलान्ट के साथ मारपीट नहीं करने तथा उसके साथ अच्छा बर्ताव करने तथा अप्रार्थी 1 व 3 से 2000/– 2000/– कुल 40000/– प्रतिमाह दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया है जो कि हर प्रकार संशोधन किया जाना आवश्यक है । अपीलान्ट को अधिकार है कि रेस्पो0 नं0 1,2 व 3 को वह अपने मकान से उक्त कानूनी प्रक्रिया के तहत बेदखल करावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान न देकर आदेश जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट की पत्नि शैनाज के नाम का एक मकान प्लॉट सं0 100 कोटा में वार्ड नं0 61 रंगतालाब कोटा में स्थित है जो अपीलान्ट द्वारा अपनी स्व अर्जित आय से अपनी पत्नि के नाम क्रय किया है । अपीलान्ट को यह अधिकार है कि वह रेस्पो0 को अपीलान्ट व उसकी पत्नि की सेवा नहीं करने तथा उनको हर प्रकार से परेशान करने तथा खाने पीने दवा आदि नहीं देने व इलाज नहीं करवाने पर उन्हें उसके मकान से माननीय न्यायालय की सहायता से बेदखल करवावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान न देकर कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो0 नं0 1 व 3 के पास काफी आय के साधन है तथा दोनों अलग अलग 20–25 हजार रूपये मासिक आय होती है, इस प्रकार प्रत्येक रेस्पो0 नं0 1 व 3 से कम से कम अपीलान्ट स्वयं के लिए व उसकी पत्नि के लिये दस हजार रूपये दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रेस्पो0 को अपीलान्ट के मकान से बेदखल करने का व भरण पोषण के रूप में रेस्पो0 नं0 1 व 3 से 5000/– 5000/– कुल 10000/– प्रतिमाह भरण पोषण दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

4. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 को भरण पोषण राशि दिलाने व रंगतालाब स्थित उनके मकान प्लॉट नं0 100 वार्ड नं0 61 से बेदखल करने की प्रार्थना का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2023 को जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 10.10.2023 को निर्णय पारित कर बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की जाकर अपीलान्ट को रेस्पो0 नं0 1 व 3 से प्रत्येक से 2000/– 2000/– रू0 कुल 4000/– की राशि बतौर भरण पोषण अदा करने के आदेश दिये । वकील अपीलान्ट द्वारा रंगतालाब स्थित मकान प्लॉट नं0 100 के क्रम करने का अन रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 07.12.2009 का नोटेरी से प्रमाणितसुदा प्रस्तुत किया है जिस अनुसार यह प्लॉट अपीलान्ट की पत्नि के नाम शकीना बाई से क्रय करना जाहिर होता है, रेस्पोडेन्ट बावजूद अनुपस्थित है । अतः वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधान अनुसार प्रोपर्टी अपीलांट की स्वअर्जित होने से तथा रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलांट माता पिता को नाजायज परेशान करने, मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने से उक्त वादग्रस्त मकान से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल किया जाना उचित होने से अपील स्वीकार योग्य है ।

5. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट की सम्पत्ति मकान नं0 100 वार्ड नं0 42 रंगतालाब कोटा से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है । निर्णय की प्रति मय तलवीदा रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया को निर्णयानुसार पालना हेतु भिजवाई जावें है ।

6. निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा